



114



माननीय राजस्व मण्डल मंत्रालय ग्वालियर ।

द्वितीय अपील क्रमांक

105-08

मौतीलाल शाहवाल पुत्र श्री रामशरण शाहवाल

निवासी ग्राम रजमिलान, तहसील सिंगरोली जिला

सिंगरोली । म० प्र० ।

----- अपीलकर्ता

• बनाम

१ - म० प्र० शायन

१ १

X २ - हीरालाल

, ,

✓ ३ - नारायण प्रसाद, दोनों के पिता रामशरण शाहवाल,

X ४ - रामप्रताप पुत्र कुलेश्वर शाह ।

✓ ५ - मुन्ना पुर्क रामनरेश । पुत्र रामप्रताप शाह,

✓ ६ - हनुमण्णी ।

, ,

✓ ७ - मूर्यमणी ।

, ,

✓ ८ - लाल मणी ।

, ,

✓ ९ - रामजी । पुत्रगण रामप्रताप शाह,

✓ १० - प्रहलाद पुत्र हीरालाल शाह ।

✓ ११ - श्याम सुन्दर

, ,

✓ १२ - राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री नारायण प्रसाद शाह

✓ १३ - विष्णु कुमार

, ,

✓ १४ - राधाकृष्ण

, ,

सभी निवासीगण ग्राम बरपुठण बरपुठण कस्बा, राजा

तहसील सिंगरोली जिला सिंगरोली । म० प्र० ।

----- रसॉडेंटस

A 1662-IV/08

श्याम (किशोरी) निवासी रजमिलान

द्वारा आज दि० 27/12/08 को प्रस्तुत ।

अवर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

27/12/08
(श्याम किशोरी निवासी)
र० २/१


[Signature]

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र०-A.1662-IV/08

जिला-सिंगरौली

मोतीलाल शाहपाल/शासन, हीरालाल

| (1) | (2) | (3) |
|----------|--|-----|
| 25.04.17 | <ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत।2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। <p style="text-align: right;"> सदस्य</p> | |